उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-78/2008-09

योगेन्द्र यादव

बनाम्

दिनेश यादव

–: आदेश :–

दिनांक	
01/11/14	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता जोगेन्द्र यादव, पिता–जोधन गोप उर्फ यादव, सा0–बुधासन, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–159/2006–07 आदेश दिनांक–06.09.2007 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–159/2006–07 के आदेश दिनांक–06.09.2007 के द्वारा मौजा–बुधासन जमाबंदी नं0–71 दाग नं0–6, 7, 35, 37, 86, 402, 407, 572, 575, 585, 621 एवं 786 कुल रकवा 05–12–07 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बुधासन जमाबंदी नं0–71 रकवा 07–03–08 धुर जमीन मो0 ललिया ग्वालिन, पति–झटकु गोप के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। झटकु गोप की मृत्यु अपने भाईयों के साथ संयुक्त में रहते हुए हो गयी थी। इसलिए गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो0 ललिया ग्वालिन का नाम दर्ज हुआ। मो0 ललिया ग्वालिन अपने देवर के साथ रहती थी। मो0 ललिया ग्वालिन की मृत्यु नावल्द हो गयी। अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत मो0 ललिया ग्वालिन के देवर मटकु गोप के वंशज हैं। इसलिए मो0 ललिया ग्वालिन के वंशज होने के हैसियत से जमीन पर दखलकार हैं। जबकि उत्तरवादी बाहरी व्यक्ति हैं। निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी का एक पक्षीय सुनवाई करके आदेश पारित किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बुधासन जमाबंदी नं0–71 रकवा 07–03–08 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट

पर्चा में मो0 ललिया ग्वालिन जोजे झटकु गोप के नाम से दर्ज है। झटकु गोप को एक पुत्री मो0 छलिया हुई। मो0 छलिया को एक पुत्र तेतर गोप हुए। उत्तरवादीगण तेतर गोप के पोता है। इसलिए वंशज के आधार पर उत्तरवादीगण का उक्त जमाबंदी की जमीन पर दावा बनता है। जबकि अपीलकर्त्तागण का संबंध जमाबंदी रैयत से नहीं है। इसलिए निम्न न्यायलय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने, दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बुधासन जमाबंदी नं0–71 रकवा 07–03–08 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो0 ललिया ग्वालिन जोजे झटकु गोप के नाम से दर्ज है। कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा के टी0आर0 नं0–36/75 आदेश दिनांक–01.12.1975 के द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता जोधन गोप के नाम से दखल घोषित किया गया है। सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के विविध वाद सं0–820/2010(योगेन्द्र यादव बनाम् गोरेलाल यादव) के आदेश दिनांक–12.01.2012 के द्वारा उक्त भूमि अपीलकर्त्ता योगेन्द्र यादव एवं अन्य के नाम से खाता में नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। उस आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी गोरेलाल यादव की ओर से सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में आपत्ति वाद सं0–6/2018 दायर किया था। जिसमें उत्तरवादी के आवदेन को खारिज किया गया है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का उक्त भूमि का दावा का पुष्टि होता है। यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन का मामला प्रतीत नहीं होकर स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–159/2006–07 आदेश दिनांक–06.09.2007 को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

01/12/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

01/12/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 18:08:37 +05:30
Location: 192.168.29.8